FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम– मण्ड़ावर (दौसा)

किस्म मुकदमा – चीमा उर्फ चिम्मन बनाम गोपी T.2. नंबर 63/21 सन........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में व्यस्त होने से आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.2 दिनांक 24.4.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
24.4.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी कुा प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैलल शुमार होकर मूलवाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
63/2021	02.12.2020	24.04.2025

बउनवान

1. चीमा उर्फ चिम्मन पुत्र भौरया, निवासी खेडली खुर्द, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. गोपी पुत्र भौरया, निवासी खातीपुरा, तहसील कठूमर, अलवर।
2. उम्मेदीराम पुत्र गुटेरी, निवासी खातीपुरा, तहसील कठूमर, अलवर।
3. रामकेश मीना पुत्र ठण्डीराम, निवासी खातीपुरा, तहसील कठूमर, अलवर।
4. अमरसिंह पुत्र रामजीलाल, निवासी खातीपुरा, तहसील कठूमर, अलवर।
5. जगदीश पुत्र श्योपाल, निवासी खातीपुरा, तहसील कठूमर, अलवर।
6. रामकिशोर पुत्र तुलसीराम, निवासी खातीपुरा, तहसील कठूमर, अलवर।
7. ग्राम पंचायत टीकरी किलानोत जरिये प्रशासक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत टीकरी किलानोत, पंचायत समिति महवा, दौसा।
8. तहसीलदार मण्डावर, दौसा।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति महवा, दौसा।
10. जिला कलक्टर दौसा।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री धर्मसिंह राजपूत।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 197/0.12, 198/0.07, कुल किता 2, कुल रकबा 0.19 हैक्टे. वाके ग्राम खेडली खुर्द, तहसील मण्डावर, दौसा में स्थित है। विवादित आराजी का खाता कुल किता 37, रकबा 8.46 हैक्टे. वाके ग्राम खेडली तहसील मण्डावर का है जिसमे प्रार्थी का 1/8 भाग तथा शेष 7/8 भाग अन्य सहखातेदारों का है जिनमे से प्रार्थी के हिस्से में उक्त दोनों खसरा नम्बर व अन्य नम्बर आये हैं। इस कारण प्रार्थी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद दायर किया जाना आवश्यक हुआ है। उक्त आराजीयात से अप्रार्थीगण का कोई सम्बंध किसी भी प्रकार का नही है। विवादित आराजी में होकर अप्रार्थीगण जबरन सड़क का निर्माण करना चाह रहे है जबकि उक्त आराजी को ना तो रास्ते के लिए अवाप्त किया गया है और ना ही प्रार्थी एवं उसके अन्य सहखातेदारों को

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

किसी प्रकार का मुआवजा ही दिया गया है, जबकि उक्त आराजी प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों की खातेदारी की आराजी है, जिसमें होकर किसी भी प्रकार का रास्ता ना होते हुए भी अप्रार्थीगण विधि विरुद्ध रूप से सड़क का निर्माण करना चाह रहे है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी मे जबरन गैरकानूनी कृत्य करने पर आमादा हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 लगा. 6, अप्रार्थी सं. 7 से मिलकर तथा अन्य राजनीतिक व्यक्तियों के कहने के आधार पर उक्त गैरकानूनी कृत्य करने पर आमादा है तथा मना करने के बावजूद भी अप्रार्थीगण मानने को तैयार नही हैं। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 6 जबरन उक्त आराजी में होकर ही रास्ता निकालने पर अड़े हुए हैं जिसकी उन्होंने दिनांक 02.09.20 एवं 20.11.20 को धमकी दी। यदि अप्रार्थीगण उपरोक्त धमकी में कामयाब हो गये तो तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसिलिए प्रार्थी को दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजिम आया है। अतः अर्ज है कि अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा सं. 197, 198 में प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार को रुकावट मजाहमत मदाखलत बेजा ना तो स्वयं करे, और ना ही दीगर व्यक्तियों से करावें। उक्त आराजी में होकर किसी भी प्रकार का रास्ता अथवा सड़क नही निकाले, और ना ही पैदल ही निकले, प्रार्थी को उक्त आराजी को शातिपूर्वक उपयोग–उपभोग में लेने देवे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया तथा अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

3. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि –

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है,

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार, ग्राम खेडली खुर्द तहसील मण्डावर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का सहखातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजीयात में कोई हिस्सा नहीं है। अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान यदि अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजीयात में किसी प्रकार की सड़क/रास्ते का निर्माण किया जाता है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है और प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है और मौके पर सड़क/रास्ते का निर्माण होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

6. इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात की स्थिति में किसी भी तरह का परिवर्तन रोकने, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए पक्षकारों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडलीखुर्द तहसील मण्डावर में स्थित विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण, इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र के निर्णीत होने तक, विवादित आराजीयात खसरा सं. 197, 198 में प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की रुकावट, मजाहमत, मदाखलत ना स्वयं करे और ना ही दीगर व्यक्तियों से करावें। उक्त आराजी में होकर रास्ता अथवा सड़क नही निकाले। प्रार्थी को उक्त आराजी को शातिपूर्वक उपयोग–उपभोग में लेने देवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज